<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक विविध 2021 का आवेदन संख्या 1641</u>

जेनेवा तलवार..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य..... प्रतिवादी

वर्तमानः

श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री द्वारा सहायता प्राप्त।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य सिंह।
श्री ललित मिगलानी, राज्य के ए.जी.ए.।

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय रवींद्र मैथानी, जे. (मौखिक)</u>

निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए तत्काल याचिका दायर की गई हैः–

(I) यह माननीय न्यायालय मौजूदा आपराधिक विविध आवेदन को स्वीकार करने और अनुमति देने के लिए प्रसन्न हो सकता हैय

(II) माननीय न्यायालय 2021 के आपराधिक मामला संख्या 1447 में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गैर–जमानतीय वारंट रद्द करने और रद्द करने के लिए प्रसन्न होई।

(III) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खतीमा द्वारा आपराधिक मामला संख्या 1447/2021 ''राज्य बनाम अमरजीत सिंह और अन्य के साथ–साथ खंड 82/83 सी0आर0पी0 के तहत आवेदक के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही में जारी किए गए समन आदेश को रद्द करें।

(IV) आपराधिक मामला सं. 1447/2021 ''राज्य बनाम अमरजीत सिंह और अन्य'' के साथ–साथ पूरे मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए।

आवेदक के खिलाफ खंड 82/83 सी0आर0पी0सी0 के तहत शुरू की गई कार्यवाही जो वर्तमान में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खटीमा की अदालत में लंबित होना है।

(V) मौजूदा आपराधिक कदाचार विचाराधीनता रहने तक आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगाना। 482 आवेदनयः

(VI) इस तरह के आगे के आदेश पारित करने के लिए जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।''

2. विवाद को तय करने के लिए आवश्यक तथ्य, जो संक्षेप में बताए गए हैं, नीचे दिए गए हैंः–

प्रतिवादी नं.3 कश्मीर कर्तार सिंह (मुखबिर) ने याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी सी0 की धारा 420,467,468,471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 07.11.2020 पर एक रिपोर्ट दर्ज की। एफ.आई.आर. में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ आरोप हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ, यह प्राथमिकी में मामला है कि जोगेंद्र कौर की जाली वसीयत के आधार पर, जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया था और उसकी भूमि के एक हिस्से को याचिकाकर्ता के नाम पर बदल दिया गया था। सूचना देने वाला सह–हिस्सेदार का मुख्तारनामा धारक होता है। यह वही प्राथमिकी आर. है, जिसमें जाँच के बाद विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जाँच अधिकारी (संक्षेप में,''आई.ओ'.) ने निष्कर्ष निकाला कि जोगेंद्र कौर जीवित थी। ग्राम सभा की भूमि हड़पने ठीक होना, एक जाली वसीयत और एक जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया था और भूमि को याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया था। प्रभार याचिकाकर्ता के खिलाफ भा. दं.सं. की खंड 420,467,468,471 और 120बी के तहत याचिका दायर की गई है। रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 01.06.2020 पर उपस्थिति की घोषणा जारी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए आई.ओ. ने 30.07.2021 पर दंड आदेशिका संहिता, 1973 (संक्षेप में,''संहिता'') की खंड 83 के तहत एक आदेशिका प्राप्त करने के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाया। संबंधित अदालत ने 30.07.2021 पर याचिकाकर्ता के खिलाफ संहिता की खंड 83 के तहत आदेशिका जारी की। 21.09.2021 पर संज्ञान लिया गया। याचिकाकर्ता अब इस न्यायालय के समक्ष है, जो समन आदेशों और अन्य प्रक्रियाओं को चुनौती देता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

3. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन कानून द्वारा वर्जित है, क्योंकि सूचना देने वाला मामले निहित प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में निम्नलिखित बिंदु उठाएः–

(I) यदि राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में झूठे दस्तावेज पेश किए गए थे, तो शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(II) जोगेंद्र कौर, जिनकी वसीयत कथित रूप से जाली थी, किसी के खिलाफ आगे नहीं बढ़ना चाहती थीं। जोगेंद्र कौर ने आई.ओ. को यही बताया। कोई अन्य व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता है।

(III) सूचना देने वाला केवल सह–हिस्सेदार का मुख्तारनामा धारक होता है।

(IV) यदि यह झूठे साक्ष्य गढ़ने का मामला है, तो संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) के प्रावधान आकर्षित होते हैं और ऐसे मामलों में संज्ञान केवल संबंधित अदालत द्वारा शिकायत पर लिया जा सकता है, जैसा कि संहिता की खंड 195 के तहत प्रदान किया गया है।

(V) याचिकाकर्ता को प्रक्रियात्मक संरक्षण दिया जाना चाहिए था।

(VI) प्रक्रियात्मक संरक्षण को दरकिनार करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध (ओं) को चुनना आई. ओ. का विकल्प नहीं है।

(VII) इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत के समक्ष उपस्थित होने और जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन, यह तर्क दिया जाता है कि कोविड–19 महामारी के कारण, याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।

(VIII) इस बीच, आई.ओ. ने संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाया और याचिकाकर्ता का गलत पता दिखाते हुए संहिता की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाएं प्राप्त कीं, जो कानून के अनुसार नहीं हैं।

(IX) खंड के तहत प्रक्रियाओं पर पता संहिता के 82 और 83 एक कृषि भूमि का पता है, जहाँ याचिकाकर्ता नहीं रहता है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि, वास्तव में, किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायाधीश के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध के संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जब तक कि ऐसा करना समीचीन न हो। इकबाल सिंह मारवाह और एक अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और एक अन्य, (2005) 4 एस. सी.सी. 370 के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि जोगेंद्र कौर किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहती हैं, इसलिए न्यायाधीश के हित में याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देना समीचीन नहीं हो सकता है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि इससे पहले, याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को उपस्थित होने और जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। अपराधों का पता लगाया जाता है।वहाँ कोई नहीं है पूरी आदेशिका में अवैधता और याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

7. यह संहिता की खंड 482 के तहत एक याचिका है। संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी अदालत की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। यदि अपराधों का आम तौर पर एक नियम के रूप में खुलासा किया जाता है, तो इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एक वैध मुकदमा अपनी सीमा पर नहीं रुकता है। तथ्यात्मक निर्धारण की अपेक्षा नहीं है। संहिता की खंड 482 के तहत अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी.सी. 335 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसके पैरा 102 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः—

''102. अध्याय 14 के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की खंड 482 के तहत निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और लचीले दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक हस्तक्षेप अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, प्राथमिकी आर. में आरोप एक हस्तक्षेप अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर–हस्तक्षेप अपराध का गठन करते हैं, वहाँ एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है जैसा कि संहिता की खंड 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहाँ प्राथमिकी आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्थापन को और कार्यवाही को जारी रखने औरध्या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, व्यथित पक्ष की कष्ट के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावपूर्ण तरीके से देखा जाता है औरध्या जहां कार्यवाही दुर्भावपूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।''

8. तत्काल मामले में बार के संबंध में बहस दिए गए हैं, जैसा कि संहिता की खंड 195 के तहत संज्ञान लेने में निहित है। अपराधों के पहलू पर बहस दिए गए हैं, जैसा कि एक तरफ खंड 195 (1) (बी) (आई) और खंड 195 (1) (बी) के तहत शामिल है।

(II) दूसरी तरफ। आगे की चर्चा करने से पहले, संहिता की खंड 195 (1) को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। यह इस प्रकार हैः–

''195. लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, लोक न्यायाधीश के खिलाफ अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।– (1) कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा –

(ए)(I) भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 172 से 188 (दोनों सहित) के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, या

(II) ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरण या करने का प्रयास करने के लिए, या

(III) इस तरह के अपराध करने के लिए किसी भी आपराधिक साजिश का,

सिवाय संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत के जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है।

(बी) (I) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत अभिकथित किसी भी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सहित), 199,200,205 से 211 (दोनों सहित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, या

(II) खंड 463 में वर्णित या अभिकथित संहिता की खंड 471, खंड 475 या खंड 476 के तहत दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिए गए दस्तावेज के संबंध में किया गया है, या

(III) उपखंड (I) या उपखंड (II) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने, या करने का प्रयास करने, या करने के लिए दुष्प्रेरण के लिए किसी भी आपराधिक साजिश का सिवाय उस न्यायालय के लिखित शिकायत पर या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह न्यायालय इस ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके अधीन वह न्यायालय है।''

9. संहिता की खंड 195 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उप–खंड (1) (बी) (आई) झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्यायाधीश के खिलाफ अपराधों से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जबकि खंड 195 (1) (बी) (आई) के तहत अपराध जालसाजी और झूठे दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने से संबंधित है। ये दो अलग–अलग श्रेणियाँ हैं।

10. इकबाल सिंह मारवाह (उपरोक्त) के मामले में, ऐसे मामलों में जालसाजी के अपराधों के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 33 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि खंड 195 में यह प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा जब अपराध उस समय किए गए हों जब दस्तावेज न्यायिक हिरासत में था। माननीय न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः–

''33. ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हमारी राय है कि सच्चिदानंद सिंह {(1998) 2 एस.सी.सी. 493:1998 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 660} को सही ढंग से तय किया गया है और उसमें लिया गया दृष्टिकोण सही है। खंड 195 (1) (बी) (ii) सी.आर.पी.सी. केवल तभी आकर्षित होगी जब उक्त प्रावधान बताए गए अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही में पेश किए जाने या साक्ष्य में दिए जाने के बाद किए गए हों, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज न्यायिक हिरासत में था।''

11. वास्तव में, भीम रजू प्रसाद बनाम के मामले में। राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 210, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) और खंड 195 (1) (बी) (आई) के बीच अंतर किया। पैरा 32 में, माननीय न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:–

''32. इसके बाद यह न्यायालय भा.दं.सं. सी. की धारा 192 और 193 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने के अपराध और जालसाजी के अपराध के बीच अंतर करने के लिए आगे बढ़ा। इसने नोट किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों में किए गए कथन विशेष रूप से झूठे साक्ष्य देने से संबंधित थे और भा.दं.सं. सी. के तहत परिभाषित जालसाजी के तत्वों का खुलासा नहीं करते थे। इसलिए, बांदेकर ब्रदर्स के मामले में इस अदालत ने प्रत्यर्थियों की दलीलों को बरकरार रखा, और राय दी कि इकबाल सिंह मारवाह उस मामले में अपीलार्थियों को लाभान्वित नहीं करेंगे। भले ही झूठा सबूत अदालत के बाहर बनाया गया था, लेकिन यह अपीलार्थियों की अपनी स्वीकारोक्ति थी, जिसे अदालत के समक्ष कार्यवाही के संबंध में बनाया गया था। अतः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

''19. इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) और खंड 195 (1) (बी) (आई) में उल्लिखित अपराधों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जहां शिकायत में उल्लिखित तथ्य दंड संहिता, 1860 की खंड 191 से 193 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं, वहां दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) लागू होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार दंड संहिता, 1860 की इन धाराओं को आकर्षित करने के बाद, अपराध पर किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में या उसके संबंध में किए जाने का अभिकथित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जो स्पष्ट है वह यह है कि इन धाराओं के तहत अभिकथित अपराध केवल किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किया गया अपराध भी हो सकता है।

22. दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) के विपरीत, खंड 195 (1) (बी) (ii) खंड 463 में वर्णित अपराधों की बात करती है, और दंड संहिता, 1860 की खंड 471,475 या 476 के तहत दंडनीय है, जब ऐसे अपराधों को किसी भी न्यायालय में कार्यवाही अभिकथित या साक्ष्य के रूप में दिए गए दस्तावेज के संबंध में किया गया है। खंड 195 (1) (बी) (ii) में इसकी अभाव से जो बात स्पष्ट होती है, वह ''या उसके संबंध में'' शब्द हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि यदि खंड 195 (1) (बी) (ii) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, तो अभिकथित रूप से किया गया अपराध एक ऐसे दस्तावेज के संबंध में किया जाना चाहिए जो वैध है, न कि एक अपराध जो दस्तावेज को अदालत की कार्यवाही में पेश किए जाने से पहले हुआ हो। वास्तव में, यह वह अंतर है जो अपीलार्थी के मामले के आधार को समझने में महत्वपूर्ण है, अर्थात् इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय।''

12. भीम रजू (उपरोक्त) के मामले में फैसले का पैरा 33 इन पंक्तियों से शुरू होता है ''हम उपरोक्त तर्क से पूरी तरह सहमत हैं''। उपरोक्त कानून स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि जहां तक संहिता की खंड 195 (1) (बी) (ii) के तहत गणना के रूप में अपराधों का संबंध है, संज्ञान लेने के लिए प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा जब अपराध (ओं) किए जाते हैं। जहां तक संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) के तहत गिने गए अपराधों का संबंध है, यह उस उप–खंड में बताए गए ''या उसके संबंध में'' शब्दों के कारण सीमा कानून से परे हो सकता है।

13. तत्काल मामले में, जैसा कि कहा गया है, याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की खंड 420,468,471,120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। ये अपराध कोड के खंड 195 (1) (बी) (आई) के तहत नहीं आते हैं। यह धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने से संबंधित है। जैसा कि कहा गया है, जालसाजी और संबंधित अपराधों के संबंध में, संहिता की खंड 195 के तहत प्रतिबंध केवल तभी लागू होगा जब अपराध *कानूनी रूप से* दस्तावेज के संबंध में किया गया हो। तत्काल ऐसा मामला नहीं है। तत्काल मामले में, यह अभियोजन पक्ष का स्पष्ट मामला है कि जोगेंद्र कौर की जाली वसीयत तैयार की गई थी। जोगेंद्र कौर का जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया और याचिकाकर्ता के नाम पर उत्परिवर्तन किया गया।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले को आगे बढ़ाने में ''समीचीनता'' के संबंध में बहस दिए हैं। इकबाल मारवाह (*सुप्रा)* के मामले में फैसले का एक संदर्भ दिया गया है, विशेष रूप से इसके पैरा 23 का उल्लेख किया गया है। पैरा 23 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ''**दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 340 में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए अदालत खंड 195 (1) (बी) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि खंड इन शब्दों से सशर्त है कि'' <u>अदालत की राय है कि यह न्याय के हित में समीचीन है ''</u>। इससे पता चलता है कि इस तरह का मार्ग केवल तभी अपनाया जाएगा जब न्यायाधीश के हित की आवश्यकता होगी और हर मामले में नहीं।''**

(जोर दिया गया)

15. संहिता की खंड 340 का प्रावधान तब लागू होगा जब संहिता की खंड 195 का प्रावधान लागू होगा। ऐसे मामलों में अदालत ने कहा है कि जब तक यह ''न्याय के हित में समीचीन'' नहीं है, तब तक कार्यवाई नहीं की जानी चाहिए। तत्काल मामले में, जैसा कि कहा गया है, जालसाजी कथित तौर पर तब की गई है जब दस्तावेज *कानूनी हिरासत* में नहीं था।इसलिए, तत्काल मामले में संज्ञान लेने के लिए संहिता की खंड 195 (i)(बी) (ii) के तहत कोई रोक नहीं है। और, तदनुसार, संहिता की खंड 340 के प्रावधान को आकर्षित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि एक आई.ओ. किसी व्यक्ति को दिए गए प्रक्रियात्मक संरक्षण को दरकिनार नहीं कर सकता है। यह इस आधार पर तर्क दिया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले को स्वीकार किया जाता है, तो भा.दं.सं. सी. की खंड 193 के तहत अपराध के कई रंग हैं और यह संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) के तहत प्रक्रियात्मक प्रतिबंध को आकर्षित करता है।

17. यह सच है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह झूठे सबूत गढ़ने का भी मामला है। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि उत्परिवर्तन के उद्देश्य से एक जाली वसीयत और जाली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे।लेकिन फिर, भा.दं.सं. की खंड 193 के तहत आरोप पत्र जमा नहीं किया गया है।

18. सवाल यह है किय ''क्या अन्य अपराध (जिसके लिए संहिता की खंड 195 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है) के तहत संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, जब तथ्यों का एक ही सेट, भा.दं.सं. सी. की खंड 193 के तहत अपराध भी बनाया जाता है, लेकिन न तो भा.दं.सं. सी. की खंड 193 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, न ही इसके तहत संज्ञान लिया गया था।

19. यह प्रतिबंध संहिता की खंड 195 के तहत मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए विशिष्ट है। जिन अपराधों में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उन पर संज्ञान लेने पर कोई रोक नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की खंड 420,467,468 और 471 के तहत संज्ञान लिया गया है। यह संहिता की खंड 195 (1)(बी) (ii) के तहत एक मामला है। जिन दस्तावेजों के संबंध में कथित रूप से जालसाजी की गई है, वे *न्यायिक हिरासत में नहीं थे।* यदि आई.ओ. ने अन्य अपराधों के तहत आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना, जिनमें संहिता की खंड 195 (1) (बी) (आई) के तहत संरक्षण उपलब्ध होता, तो यह कार्यवाही को दूषित नहीं करता है।

20. वास्तव में, ''समीचीनता'' के सवाल का तर्क जांच के दौरान दर्ज किए गए जोगेंद्र कौर के बयान को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जैसा कि याचिका के संलग्नक 12 में दिया गया है। काफी हद तक, जोगेंद्र कौर ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित कर दिया है। उसने कहा है कि उसने कोई निष्पादन नहीं करने की इच्छा की। उसने अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने यह भी कहा है कि वह किसी के खिलाफ आगे नहीं बढ़ना चाहती है। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें केवल पीड़ित ही न्यायाधीश का चक्कर लगा सकता है। यह एक हस्तक्षेप अपराध है। रिपोर्ट सह–हिस्सेदार के मुख्तारनामा धारक द्वारा बनाई गई थी और आई. ओ. ने पाया कि ऐसे अपराध किए जाते हैं।

21. एक तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाएं कानून के अनुसार जारी नहीं की गई हैं। इस पहलू पर एकमात्र तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है और 02.03.2021 पर, याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा 22.03.2021 पर या उसके सामने संबंधित अदालत में पेश होने और जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, यह तर्क दिया जाता है कि कोविड–19 महामारी के कारण, याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हो सका।वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली

हैं। जबकि, संहिता की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाएँ गाँव बागुलिया, थाना जनखैया, जिला उधम सिंह नगर में उनके कृषि पते पर जारी की गई थीं।

22. आयुक्त कुमाऊं मंडल, नैनीताल के न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील का संदर्भ 2019–2020 की अपील संख्या 47 है, जो कि संलग्नक 5 है। वास्तव में, इस अपील में, याचिकाकर्ता ने उन्होंने अपना मौजूदा पता ''गाँव बागुलिया, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर'' के रूप में दर्ज किया।

23. रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत में अग्रिम जमानत के लिए संपर्क किया था, जिसे 2021 के ए.बी.ए. नंबर 47 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका निर्णय 02.03.2021 पर किया गया था। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया है कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित अदालत के समक्ष 22.03.2021 पर या उससे पहले पेश होता है और जमानत याचिका दायर करता है, तो उसी दिन उस पर निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ता कभी अदालत में पेश नहीं हुआ।

24. याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने की घोषणा संबंधित अदालत द्वारा 01.06.2021 पर जारी की गई थी। इसके बहुत बाद, इस अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित किया गया था। यह याचिकाकर्ता के निम्नलिखित पते पर जारी किया जाता हैः

''अशोक फार्म बागुलिया, पुलिस स्टेशन झाँखैया, जिला उधम सिंह नगर।

25. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इसके बाद भी पेश नहीं हुआ। आई. ओ. ने संहिता की खंड 83 के तहत आदेशिका जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 30.07.2021 पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, प्रथम श्रेणी, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर ने एक विस्तृत आदेश पारित किया और कहा कि संहिता की खंड 82 के तहत आदेशिका पहले ही पूरी कर ली गई थी और इसे याचिकाकर्ता के घर पर 06.06.2021 पर चिपकाया गया था, लेकिन वे गिरफ्तारी से बच रहे हैं। इसके बाद संहिता की खंड 83 के तहत आदेशिका जारी कर दी गई है।

26. तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अपने पते का उल्लेख किया। लेकिन, जैसा कि कहा गया है, आयुक्त कुमाऊं मंडल की अदालत के समक्ष एक अपील में, याचिकाकर्ता ने स्वयं गाँव बागुलिया, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर का अपना पता दर्ज किया है। इतना ही नहीं, इस याचिका के लिए संलग्नक 6 है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत याचिकाकर्ता का एक आवेदन है, जो सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), खटीमा, उधम सिंह नगर की अदालत के समक्ष 2018 के सिविल मुकदमा संख्या 1 में दायर किया गया है। इस आवेदन में उनका पता गाँव बागुलिया, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के रूप में दर्ज किया गया है। उसी पते पर संहिता की खंड 82 के तहत आदेशिका जारी की गई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि यह गलत पते पर जारी किया गया था।

27. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखता है और याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

28. याचिका खारिज की जाती है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)
16.12.2021